



उत्तराखण्ड UTTARAKHAND

प्रारूप-26  
(नियम 4 के देखिए)

09AA 992951

3 JAN 2012] विकासनगर निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) उत्तराखण्ड विधान सभा (सदन का नाम) के लिये निर्वाचन के लिये रिटनिंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला शपथपत्र।

STATE TREASURY

VILLAGE R (DEHRADUN) मैंने

सौ इक्काम पुत्र, गणवृद्ध अवसर 44 वर्ष  
जो ..... दुर्गा नगर काठ 37 डेहरादून

का निवासी है और उपरोक्त निर्वाचन में अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ  
शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ :—


1— मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है / किये गये हैं।

(यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा / करेगी)

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएँ ..... लालू नदी'
- (ii) पुलिस थाना (थाने) लालू नदी जिला या जिले ..... राज्य .....
- (iii) संबन्धित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिये अभ्यर्थी आरोपित किया गया है ..... लालू नदी'
- (iv) न्यायालय जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गयी है ..... लालू नदी'

लालू नदी'  
मार्गली

# भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON-JUDICIAL

उत्तराखण्ड UTTARAKHAND (v) तारीख (तारीखे) जिनको आरोप विरचित किया गया था/किये गये थे 09AA 992952

- 5 JAN 2012 (vi) क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा सेवी गयी है/हैं लागू नहीं

2. मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अन्तर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न के लिये सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिये कारावास से दंडादिष्ट किया गया है/नहीं किया गया है।

(यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप से सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी) :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्यायें लागू नहीं
- (ii) न्यायालय जिसने दंडित किया है लागू नहीं
- (iii) पुलिस थाना (थाने) लागू नहीं या जिले राज्य
- (iv) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) और उस अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण, जिसके (जिनके) लिये अभ्यर्थी आरोपित किया गया है लागू नहीं
- (v) तारीख (तारीखे) जिनको दंडादेश सुनाया गया था/सुनाये गये थे
- (vi) क्या दंडादेश सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोका गया है/रोके गये हैं लागू नहीं

स्थान विकासनगर  
दिनांक 12.01.2012

मेरे लाल  
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर



सत्यापन

मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है और कोई तात्त्विक बात छिपायी नहीं गई है।

स्थान पर आज तारीख विकासनं०/८ 12.1.12 को सत्यापित किया।  
मी०१९८८/८८

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

टिप्पणी :- इस प्ररूप के वे स्तम्भ, जो अभिसाक्षी को लागू नहीं हैं, काट दिया जाए।

This affidavit is sworn before  
me by Shri ..... M.A. 90112 Wt  
is identified by Shri .....  
at Vikas Nagar on 12/01/12

RANDHIR WALLA  
MANAGING DIRECTOR  
DILIP NARAYAN LTD.